



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 13 अगस्त, 1974

श्रावण 22, 1896 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2661/17-वि०-1--50-74

लखनऊ, 13 अगस्त, 1974

### अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 13 अगस्त, 1974 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1974)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1974 संक्षिप्त नाम कहलायेगा।

1959 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 2 में नई धारा 8-क का अन्तः स्थापन

2—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

“8-क—(1) जहाँ महापालिका का कार्यकाल या बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त हो नई महापालिका गया है तथा नई महापालिका का संगठन नहीं हुआ है वहाँ धारा 9 के गठन तक महा- के अधीन नई महापालिका का सम्यक् रूप से संगठन किए जाने पालिका के प्रशा- तक— सन के संबंध में अस्थायी उपबन्ध

(क) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सभासद, विशिष्ट सदस्य और धारा 95 तथा 97 के अधीन संगठित या नियुक्त समस्त विशेष समितियों, संयुक्त समितियों तथा उप समितियों के सदस्य तथा महापालिका का मुख्य नगर अधिकारी, अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे, तथा ऐसी समस्त विशेष समितियाँ, संयुक्त समितियाँ और उप-समितियाँ विघटित हो जायेंगी ;

(ख) महापालिका, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति तथा धारा 5 के खण्ड (ड) के अधीन नियुक्त अन्य समितियों की तथा मुख्य नगर अधिकारी की समस्त शक्तियाँ, कृत्य, तथा कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रशासक कहा गया है) निहित हो जाएंगे और उनका प्रयोग, अनुपालन तथा निर्वहन उसके द्वारा किया जायेगा, तथा प्रशासक को विधि की दृष्टि से महापालिका, नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति या अन्य समितियाँ अथवा मुख्य नगर अधिकारी जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायेगा ;

(ग) प्रशासक, राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, खण्ड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से सब या किन्हीं के बारे में—

(i) उसके द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट रीति से संगठित समिति या अन्य निकाय से, यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा ; अथवा

(ii) इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिरोपित करना वह उचित समझे, उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी व्यक्ति अथवा उप खंड (i) के अधीन संगठित किसी समिति या अन्य निकाय को प्रत्यायोजित कर सकेगा ;

(घ) प्रशासक का वेतन और भत्ते, जो उस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा नियत किए जाएं, महापालिका की निधि से दिए जायेंगे ।

(2) नई महापालिका के गठन के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक निर्वाचन, उप धारा (1) के अधीन प्रशासक को नियुक्त के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर किए जाएंगे:

परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, उक्त अवधि को विस्तारित कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा विस्तार कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक हो ।”

निरसन तथा अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1973 एतद्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन अथवा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1973 के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायगी मानो यह अधिनियम 12 जून, 1973 को प्रवृत्त हो गया था ।

राज्यपाल  
अधिनियम  
संख्या 11  
1974  
1974  
उत्तर प्रदेश  
असाधारण  
सं० 2

No. 2661 (2)/XVIII-V-1—50-74

IN pursuance of the provisions of Clause (3) Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 13, 1974.

**THE UTTAR PRADESH NAGAR MAHAPALIKAS (AMENDMENT) ACT, 1974**

[U. P. Act No. 25 of 1974]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

for further to amend the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Nagar Mahapalikas (Amendment) Act, 1974. Short title.

2. After section 8 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1949, the following section shall be inserted, namely :

Insertion of new section 8-A in U.P. Act II of 1959.

“8-A. (1) Where the term or the extended term of the Mahapalika has expired and a new Mahapalika has not been constituted, then until the due constitution of the new Mahapalika under section 9—  
Temporary provisions regarding administration of Mahapalika until a new Mahapalika is constituted.

(a) notwithstanding anything in this Act, the Nagar Pramukhi, the Up-Nagar Pramukh, the Sabhasads, the Vishistha Sadasyas and the members of all Special Committees, Joint Committees and Sub-Committees constituted or appointed under sections 95 and 97 and the Mukhya Nagar Adhikari of the Mahapalika shall vacate their respective offices, and all such Special Committees, Joint Committees and Sub-Committees shall stand dissolved ;

(b) all powers, functions and duties of the Mahapalikas, its Nagar Pramukh, Up-Nagar Pramukh, Executive Committee, Development Committee and other Committees appointed under clause (e) of section 5 and of the Mukhya Nagar Adhikari shall be vested in and be exercised, performed and discharged by an officer appointed in that behalf by the State Government (hereinafter referred to as the Administrator), and the Administrator shall be deemed in law to be the Mahapalika, the Nagar Pramukh, the Up-Nagar Pramukh, Executive Committee, Development Committee or other Committees, or the Mukhya Nagar Adhikari as the occasion may require ;

(c) subject to any general or special orders of the State Government, the Administrator may, in respect of all or any of the powers conferred on him by clause (b),—

(i) consult such Committee or other body, if any, constituted in such manner as may be specified by him in that behalf ; or

(ii) delegate, subject to such conditions as he may think fit to impose, the powers so conferred, to any person or to any committee or other body constituted under sub-clause (i), to be specified by him in that behalf ;

(d) such salary and allowances of the Administrator as may be fixed by general or special orders of the State Government in that behalf shall be paid out of the Mahapalika Fund.

(2) Necessary elections shall be held in accordance with the provisions of this Act for the constitution of the new Mahapalika within a period of one year from the date of appointment of the Administrator under sub-section (1):

Provided that the State Government may from time to time, by order published in the official *Gazette*, extend the said period, so, however, that such extension does not in the aggregate exceed one year."

Repeal  
savings.

and

3. (1) The Uttar Pradesh Nagar Mahapalikas (Amendment) Act, 1973, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Act or under the Uttar Pradesh Nagar Mahapalikas (Amendment) Ordinance, 1973, shall be deemed to have been done or taken as if this Act had commenced on the 12th day of June, 1973.

अस्ता से,  
कैलाश नाथ गोयल,  
सचिव ।

President  
Act 12  
1973.

U. P.  
Ordinance  
3 of 1973